



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232879
CG-DL-E-25012022-232879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/ माघ 4, 1943

No. 314]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 322(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-561A के लिए (वाइनिंग / फोर लेन, आदि), उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH561A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल लेन्ड एक्विजिशन आफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कर्नाटक	विजयपुरा	विजयपुरा	1 भूतनाली

	(नेशनल हैवेयज़) धारवाड़	NH561A के कि.मी. 0 से 12 तक			टिकोटा	1 अरकेरी 2 सिद्धपुर
--	-------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------	------------------------

[फा. सं. RW/NH/561A/KNT/2021/22/0.00/12.00]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2022

S. O. 322(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (wiening / four-laning, etc), maintenance, management and operation of the National Highway No 561A in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH561A in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition officer (National Highways) Dharwad	0KM To 12KM	KARNATAKA	Vijayapura	Vijayapura Tikota	1 Bhutnal 1 Arakeri 2 Siddapur

[F. No. RW/NH/561A/KNT/2021/22/0.00/12.00]

RAJESH GUPTA, Director